Compt.

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग (4) में प्रकाशित करने हेतु:

कार्यालय उपायुक्त पुलिस: यातायात: यातायात अभियांत्रिकी: दिल्ली
दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

जबकि कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के दोनों तरफ लाला लाजपत राय मार्ग पर धीमी गति के वाहनों जैसे कि साइकिल रिक्शा, ठेला/हाथ ठेला, पशुचालित वाहनों आदि के चलने के कारण यातायात की भीड़-भाड़ उत्पन्न हो रही है और यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने एवं वाहन चालकों, अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा को रोकने हेतु और अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, मनोज सी., उपायुक्त पुलिस, यातायात (यातायात अभियांत्रिकी) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 20 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा धीमी गति के वाहनों जैसे कि साइकिल रिक्शा, ठेला/हाथ ठेला, पशुचालित वाहनों आदि को लाला लाजपत राय मार्ग पर कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के दोनो तरफ (संत नगर क्रासिंग से एल.एस.आर. क्रासिंग) चलने पर अगले आदेश तक 24 घंटें प्रतिबंधित करता हूँ ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्त तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी।

सबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाऐंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनॉक 27/01/2016 को जारी किया गया।

195
27/1/16

(मनोज सी.)
उपायुक्त पुलिस : यातायात
(यातायात अभियांत्रिकी): दिल्ली

संख्या/ 430-580 /या. अभि. शा.( डी.-2 )/यातायात, दिनॉक दिल्ली, 27 /01/2016.

प्रतिलिपि समस्त कार्यालयों को प्रेषित है जैसा कि अंग्रेजी आदेश में ।